[2018] 3 उम. नि. प. 430

नवनीत कृष्णन्

बनाम

राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक

16 अप्रैल, 2018

न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी और न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3 – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्तों को अंतिम बार मृतकों के साथ देखा जाना – अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत परिस्थितियों की शृंखला में एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिससे अभियुक्त की दोषिता पूर्णतः सिद्ध तो हो जाती है या कुछ निश्चितता के साथ उसकी दोषिता को इंगित कर सकती है, तथापि, केवल इस साक्ष्य से अभियुक्तों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने वाले भार का निर्वहन नहीं हो सकता है और इसकी संपुष्टि होना आवश्यक है तथा केवल इस आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 364 और 379 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25, 26 और 27] – हत्या, अपहरण और लूट – संस्वीकृति कथन – दोषसिद्धि – जहां अभियुक्तों ने मृतकों का अपहरण करने और उनकी हत्या करने का संस्वीकृति कथन पुलिस अभिरक्षा में किया हो और उनके कथन के आधार पर कुछ तात्विक वस्तुओं की बरामदगी हुई हो, वहां ऐसे कथन का केवल उतना ही भाग ग्रहण किए जाने योग्य होगा जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं की बरामदगी हुई थी तथा किसी अन्य तात्विक साक्ष्य के अभाव में केवल संस्वीकृति कथन और अभियुक्तों को अंतिम बार मृतकों के साथ देखे जाने के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना न्यायोचित नहीं होगा ।

इस अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी-अभियुक्तों ने शीघ्र धन कमाने के लिए एक कार को लूटने और उसे बेचने की योजना बनाई और उस प्रयोजन के लिए वे तारीख 14 फरवरी, 2008 को येरकौड गए तथा दर्शनीय स्थल देखने का बहाना करके जॉन बोस्को (मृतक) की टैक्सी ली । जॉन बोस्को (मृतक) ने रास्ते में मदन नामक व्यक्ति (मृतक) को भी लिया । जॉन बोस्को महिमादास (अभि. सा. 8) नामक व्यक्ति की

ट्रेवल एंजेसी में ड्राइवर के रूप में नियोजित था । अपीलार्थी-अभियुक्तों ने ड्राइवर-जॉन बोस्को से कहा कि उन्हें अभियुक्तों में से एक अभियुक्त के पितामह के पेरियार नगर, सालेम स्थित मकान पर उतार दिया जाए । वहां पहुंचने के पश्चात्, अपीलार्थी-अभियुक्त ने पाया कि पितामह वहां नहीं था । अपीलार्थी-अभियुक्तों ने जॉन बोस्को को शराब पीने के लिए मकान के अंदर आने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने उन दोनों की एक रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी । अभियुक्त सं. 1 ने जॉन बोस्को का मोबाइल फोन लिया और अभियुक्त सं. 3 ने याशिका कैमरा लिया । अभियुक्त सं. 2 ने उक्त वैन को अपने पितामह के मकान में छिपा दिया । वैन की नम्बर प्लेट को एक स्टीकर से बदल दिया । उसके पश्चात्, उन्होंने शवों को अलग-अलग बोरियों में लपेटा और जॉन बोस्को के शव वाली बोरी को अभि. सा. 1 के कुंए में फेंक दिया तथा मदन के शव को किसी अन्य स्थान पर फेंक दिया । महिमादास नामक व्यक्ति (अभि. सा. 8) द्वारा पुलिस थाना, येरकौड, जिला सालेम में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत कराई गई । अन्वेषण के दौरान, शिवशंकर (अभियुक्त सं. 1) को गिरफ्तार किया गया और उसने इस अपील में अपीलार्थियों (अभि. 2 और अभि. 3) के साथ मिलकर अपराध कारित करने के बारे में यह उल्लेख करते हुए संस्वीकृति की कि उन्होंने जॉन बोस्को और उसके मित्र मदन का अपहरण किया था और उन्हें मारुति वैन में, जो जॉन बोस्को द्वारा चलाई जा रही थी, अभियुक्त सं. 2 के एक नातेदार के यहां ले गए और वहां उन्होंने जॉन बोस्को और मदन की एक रस्सी का उपयोग करके गला घोंटकर एक-एक करके मृत्यु कारित की गई और उनके शवों को बोरी में डालकर जलधारा में डुबो दिया गया । सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात्, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सालेम के न्यायालय में एक आरोप पत्र फाइल किया गया और मामला अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सालेम के न्यायालय को सुपुर्द किया गया । विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने तारीख 18 सितम्बर, 2009 के निर्णय और आदेश द्वारा सभी अभियुक्तों को आरोपित धाराओं के अधीन अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया और उन्हें आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । अपीलार्थी-अभियुक्तों ने तारीख 18 सितम्बर, 2009 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष दांडिक अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने तारीख 23 नवम्बर, 2009 के निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपीलों को खारिज कर दिया गया । अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित

होकर उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत लेकर अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह एक स्थिर विधिक स्थिति है कि विधि में यह उपधारणा की जाती है कि उस व्यक्ति ने ही मृतक की हत्या की होगी, जिसे अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था और यह साबित करके कि वे मृतक से अलग हो गए थे, इस उपधारणा का खंडन करने का भार अभियुक्त पर होता है । निस्संदेह, परिस्थितियों की शृंखला में अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिससे अभियुक्त की दोषिता पूर्णतः सिद्ध हो जाती है और/या कुछ निश्चितता के साथ उसकी दोषिता को इंगित कर सकती है । तथापि, केवल इस साक्ष्य से अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने वाले भार का निर्वहन नहीं हो सकता है और इसकी संपुष्टि होना आवश्यक है । (पैरा 18)

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 केवल तब लागू होती है यदि संस्वीकृति कथन के परिणामस्वरूप किसी नए तथ्य का पता चला है । इसकी सुसंगतता जितनी एतद्द्वारा पता चले तथ्य में स्पष्टतया संबंधित है तक सीमित है । प्रस्तुत मामले में, अभियुक्त सं. 3 के बताने पर जो याशिका कैमरा बरामद किया गया था, मृतक के पिता तथा माता द्वारा उसकी शनाख्त नहीं की गई थी । वस्तुतः, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि कैमरा वास्तव में मृतक जॉन बोस्को का ही था । यद्यपि मोबाइल फोन अभियुक्त सं. 1 से बरामद हुआ था, किंतु अभिलेख पर इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि सैल फोन मृतक जॉन बोस्को का था या अभि. सा. 8 का था, क्योंकि यह फोन उनके नाम से नहीं खरीदा गया था । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष उस व्यक्ति की परीक्षा करने में असफल रहा, जिसके नाम से सैल फोन खरीदा गया था, जिससे यह दर्शित हो सके कि यह मूल रूप से अभि. सा. 8 का था और अभि. सा. 8 का यह कथन साबित हो सके कि उसने फोन खरीदा था और इसे मृतक जॉन बोस्को को दिया था । इसके अतिरिक्त, तात्विक वस्तुएं, अर्थात् नोकिया फोन और मोटरसाइकिल का मामले से कोई सरोकार ही नहीं है । नोकिया फोन अभियुक्त सं. 1 से बरामद किया गया था और यह पक्षकथन नहीं है कि इसे अपराध कारित करने में प्रयुक्त किया गया था और इसी प्रकार जो मोटरसाइकिल बरामद की गई थी वह अभियुक्त सं. 3 के पिता की थी तथा अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश या प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इन वस्तुओं का मामले से कैसे सरोकार है ।

वास्तव में, साक्षियों में से किसी ने भी कैमरे की शनाख्त नहीं की थी या सामान जॉन बोस्को का होने की बात कही थी । धारा 27 में अंतर्विष्ट आदेश के बावजूद उक्त कथन अग्राह्य हैं और इसका एकमात्र कारण यह है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि इनके परिणामस्वरूप किसी नए तथ्य का पता चला था । पुलिस ने जिन तात्विक वस्तुओं को अभियुक्तों से बरामद किए जाने का दावा किया है, वे पुलिस द्वारा गढ़ी गई हो सकती हैं । अतः, अपराध और बरामद की गई वस्तुओं के बीच किसी संयोजक कड़ी के अभाव में, अभियुक्तों की प्रेरणा पर की गई बरामदगी का मामले के तथ्यों के आधार पर कोई तात्विक संबंध नहीं है । यह विधि सुस्थिर है कि अपराध में फंसाने वाली प्रत्येक परिस्थिति को विश्वसनीय और सटीक साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से अवश्य सिद्ध किया जाना चाहिए और इस प्रकार साबित की गई परिस्थितियों से घटनाओं की अवश्य एक ऐसी शृंखला बननी चाहिए जिससे अभियुक्त की दोषिता के बारे में एकमात्र अप्रतिरोध्य निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सके और दोषिता के विरुद्ध कोई अन्य परिकल्पना संभव न हो । पारिस्थितिक साक्ष्य पर अत्यधिक रूप से निर्भर मामले में सदैव यह खतरा रहता है कि अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ले सकते हैं । न्यायालय को अवश्य अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि घटनाओं की शृंखला में की विभिन्न परिस्थितियां अवश्य ऐसी होनी चाहिएं कि अभियुक्त की निर्दोषिता की युक्तियुक्त संभावना को नकारा जा सके । जब महत्वपूर्ण कड़ी गायब होती है, तो परिस्थितियों की शृंखला चटाख से टूट जाती है और अन्य परिस्थितियां, किसी रीति में, अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं कर सकती हैं । न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए और संदेह को विधिक सबूत का स्थान लेने के खतरे से बचना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी यह अनजाने में नैतिक निश्चितता और विधिक सबूत के बीच जल्दबाजी में उठाया गया कदम हो सकता है । "सत्य हो सकता है" और "अवश्य सत्य होना चाहिए" के बीच बहुत लंबी मानसिक दूरी है और ये बातें अटकलबाजियों को निश्चित निष्कर्षों से पृथक् करती हैं । यह न्यायालय विधि के स्थिर सिद्धांतों और इस न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चयों द्वारा दी गई इस चेतावनी से पूरी तरह सचेत है कि इस मामले जैसे किसी मामले में, जहां अभियोजन पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर है, वहां अभियोजन पक्ष को सभी आवश्यक परिस्थितियों को अवश्य प्रस्तुत और साबित करना चाहिए जिससे एक अटूट पूर्ण शृंखला बनती हो और इस परिकल्पना को इंगित करती हो कि अभियुक्त के सिवाए किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध कारित नहीं किया

था और इस मामले में अभियोजन पक्ष यह बात साबित करने मे असफल रहा है । पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि दोनों निचले न्यायालयों ने कथन के उस भाग का अवलंब लेकर गलती की है जिसे ऐसी संस्वीकृति का नाम दिया जा सकता है, जो पुलिस अधिकारी को उस समय किया गया था जब वे अभिरक्षा में थे और इससे साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 का अतिक्रमण होगा और कथन का केवल वह भाग अनुज्ञेय होगा जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सामग्री की बरामदगी हुई थी । अतः, अपीलार्थी-अभियुक्तों के विरुद्ध किसी अन्य तात्विक साक्ष्य के अभाव में, उन्हें मृतकों के साथ अंतिम बार देखे जाने के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है । (पैरा 22, 23 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 2 एस. सी. सी. 399 : **मधु** बनाम **केरल राज्य** ;	21
[2010]	(2010) 7 एस. सी. सी. 263 : **सेल्वी और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	19
[2008]	2008 क्रिमिनल ला जर्नल 2005 : **रफीकुल आलम और अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ;	17
[1989]	(1989) (सप्ली.) 2 एस. सी. सी. 706 : **पदाला वीरा रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य** ।	14

अपील (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 1134 और इसके साथ 2013 की दांडिक अपील सं. 1135-1136 तथा 1137.

2009 की दांडिक अपील सं. 688 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 23 नवम्बर, 2009 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री के. के. मणि, (सुश्री) अर्चना मयूर, आर. साह, वेंकटेश्वर राव

अनुमोलू, के. के. एस. कृष्णराज, प्रभाकर प्रणम, पी. मधुसुधन रेड्डी, एन. राजारमन, जयंत मुतराज, (सुश्री) वाई. अरुणागिरी और एस. गौतमन

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री एम. योगेश कन्ना, (सुश्री) नित्या और आर. वी. कामेश्वरन्

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल ने दिया ।

न्या. अग्रवाल – उपरोक्त अपीलें 2009 की दांडिक अपील सं. 639 और 688 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 23 नवम्बर, 2009 को पारित उस सामान्य निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने 2009 के सेशन मामला सं. 21 में त्वरित न्यायालय सं. 2, सालेम द्वारा तारीख 18 सितम्बर, 2009 को पारित आदेश के विरुद्ध इस अपील में अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपीलों को खारिज कर दिया था, जिसमें विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड सहिता, 1860 (जिसे इसे आगे संक्षेप में "भारतीय दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 34 के साथ पठित धारा 302, 364 और 379 के अधीन दोषसिद्ध किया था और भारतीय दंड संहिता के अधीन मूल दंडादेशों सहित आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया था ।

2. **संक्षिप्त तथ्य**

(क) महिमादास (अभि. सा. 8) द्वारा तारीख 16 फरवरी, 2008 को पुलिस थाना, येरकौड, जिला सालेम में यह उल्लेख करते हुए 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 41 रजिस्ट्रीकृत कराई गई कि तारीख 14 फरवरी, 2008 को जॉन बोस्को (मृतक) ने, जो उसकी ट्रेवल एजेंसी में ड्राइवर के रूप में नियोजित था, मदन नामक एक व्यक्ति (मृतक) के साथ उससे एक मारुति वैन ली थी किंतु वे दो दिन तक वापस नहीं आए ।

(ख) अगले ही दिन अर्थात् तारीख 17 फरवरी, 2008 को अशोकन् नामक व्यक्ति ने 2008 की एक और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 88 यह उल्लेख करते हुए रजिस्ट्रीकृत कराई कि जब वह अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए गया था, तब उसने कुंए में एक सफेद रंग की बोरी तैरते हुए पाई । उसने तुरंत इसके बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित किया और

जब बोरी खोली गई तो उसमें कमर पर हाथ बंधे हुए एक पुरुष का शव पाया गया ।

(ग) तारीख 16 फरवरी, 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर येरकौड पुलिस थाने में 2008 का अपराध सं. 41 रजिस्ट्रीकृत किया गया और अन्वेषण के लंबित रहने के दौरान 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 88 रजिस्ट्रीकृत की गई तथा एक शव पाया गया जिसकी शनाख्त जॉन बोस्को के रूप में की गई ।

(घ) अन्वेषण के दौरान, शिवशंकर (अभियुक्त सं. 1) को गिरफ्तार किया गया और उसने इस अपील में अपीलार्थियों अभि. 2 और अभि. 3) के साथ मिलकर अपराध कारित करने के बारे में यह उल्लेख करते हुए संस्वीकृति की कि उन्होंने जॉन बोस्को और उसके मित्र मदन का अपहरण किया और उन्हें मारुति वैन में, जो जॉन बोस्को द्वारा चलाई जा रही थी, अभियुक्त सं. 2 के एक नातेदार के यहां ले गए और वहां उन्होंने जॉन बोस्को और मदन की एक रस्सी का उपयोग करके गला घोंटकर एक-एक करके मृत्यु कारित की गई और उनके शवों को बोरी में डालकर जलधारा में डुबो दिया गया । अभियुक्त सं 1 अन्वेषक अधिकारी को उस स्थान पर भी लेकर गया था जहां एक बोरी में मदन का शव पाया गया था ।

(ङ) सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात्, न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 5, सालेम के न्यायालय में एक आरोप पत्र फाइल किया गया और मामला अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं. 2, सालेम के न्यायालय को सुपुर्द किया गया और इसे 2009 के सेशन मामला सं. 21 के रूप में संख्यांकित किया गया । न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 364, 302 और धारा 302 तथा 379 के साथ पठित धारा 201 के अधीन आरोप विरचित किए गए ।

(च) विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने तारीख 18 सितम्बर, 2009 के निर्णय और आदेश द्वारा सभी अभियुक्तों को आरोपित धाराओं के अधीन अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया और उन्हें आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया ।

(छ) अपीलार्थी-अभियुक्तों ने तारीख 18 सितम्बर, 2009 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष 2009 की दांडिक अपील सं. 639 और 688 फाइल कीं । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने तारीख 23 नवम्बर, 2009 के निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपीलों को खारिज कर दिया ।

(ज) अपीलार्थियों ने तारीख 23 सितम्बर, 2009 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय में विशेष इजाजत लेकर ये अपीलें फाइल की हैं ।

3. अपीलार्थी-अभियुक्तों की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री के. के. मणि और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री एम. योगेश कन्ना को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया ।

विचारणीय मुद्दा (मुद्दे)

4. इस मामले के प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों में इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्तों द्वारा फाइल की गई अपीलों को खारिज करके ठीक किया है ?

परस्पर विरोधी दलीलें

5. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि निचले न्यायालय यह मूल्यांकन करने में असफल रहे हैं कि भुकरी हुई संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है और इसका प्रयोग केवल अन्य साक्ष्य के समर्थन में किया जा सकता है । उन्होंने यह भी दलील दी कि जहां मृत्यु का कारण तक ज्ञात नहीं है वहां निचले न्यायालयों ने अपीलार्थियों की दोषसिद्धि करके गलती की है ।

6. विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अभियोजन के वृत्तांत में कई खामियां हैं । इसके समर्थन में उन्होंने यह दलील दी कि निचले न्यायालय यह मूल्यांकन करने में असफल रहे हैं कि अभियुक्त सं. 1 से बरामद फोन का स्वामी अभि. सा. 8 न होकर कोई अन्य व्यक्ति है और अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त व्यक्ति की कभी-भी परीक्षा नहीं की गई । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 11 ने अभियुक्तों को मृतकों के साथ तारीख 14 फरवरी, 2008 को लगभग 10.30 बजे पूर्वाह्न में देखा था, जबकि शव कई दिनों के अंतराल के पश्चात् पाए गए थे और किसी अन्य व्यक्ति के मध्यक्षेप की संभाव्यता को अनदेखा नहीं किया जा सकता है ।

7. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने अंतिमतः यह दलील दी कि उच्च न्यायालय को इस तथ्य का मूल्यांकन करना चाहिए था कि अभियोजन के पक्षकथन में पारिस्थितिक साक्ष्य की शृंखला पूर्ण नहीं है और इसमें विभिन्न अंतर्निहित कमियां हैं, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हुए संदेह का

फायदा अपीलार्थियों के पक्ष में दिया जाना चाहिए ।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा सेशन न्यायालय के विनिश्चय को कायम रखते हुए पारित किया गया निर्णय और आदेश विधि के निबंधनों और सिद्धांतों के अनुसार है तथा इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अपीलार्थी-अभियुक्तों के विरुद्ध दोषिता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं ।

चर्चा

9. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी-अभियुक्तों ने शीघ्र धन कमाने के लिए एक कार को लूटने और उसे बेचने की योजना बनाई और उस प्रयोजन के लिए वे तारीख 14 फरवरी, 2008 को येरकौड गए तथा दर्शनीय स्थल देखने का बहाना करके जॉन बोस्को (मृतक) की टैक्सी ली । जॉन बोस्को (मृतक) ने रास्ते में मदन नामक व्यक्ति (मृतक) को भी लिया । अपीलार्थी-अभियुक्तों ने ड्राइवर-जॉन बोस्को से कहा कि उन्हें अभियुक्तों में से एक अभियुक्त के पितामह के पेरियार नगर, सालेम स्थित मकान पर उतार दिया जाए । वहां पहुंचने के पश्चात्, अपीलार्थी-अभियुक्त ने पाया कि पितामह वहां नहीं था । अपीलार्थी-अभियुक्तों ने जॉन बोस्को को शराब पीने के लिए मकान के अंदर आने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने उन दोनों की एक रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी । अभियुक्त सं. 1 ने जॉन बोस्को का मोबाइल फोन लिया और अभियुक्त सं. 3 ने याशिका कैमरा लिया । अभियुक्त सं. 2 ने उक्त वैन को अपने पितामह के मकान में छिपा दिया । वैन की नम्बर प्लेट को एक स्टीकर से बदल दिया । उसके पश्चात्, उन्होंने शवों को अलग-अलग बोरियों में लपेटा और जॉन बोस्को के शव वाली बोरी को अभि. सा. 1 के कुंए में फेंक दिया तथा मदन के शव को किसी अन्य स्थान पर फेंक दिया ।

10. अपीलार्थी-अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और धारा 379 के साथ पठित धारा 364 और 201 के अधीन आरोपित और अभियोजित किया गया । चूंकि, प्रस्तुत मामले में घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभियोजन पक्ष ने पारिस्थितिक साक्ष्य का जोरदार रूप से अवलंब लिया । अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए कुल 27 साक्षियों की परीक्षा की और विभिन्न सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए ।

11. अभि. सा. 8 द्वारा पुलिस थाना, येरकौड में दर्ज की गई 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 41 में उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि उसने किसी अन्य व्यक्ति के नाम में एक मोबाइल फोन खरीदा था और इसे जॉन बोस्को को सौंपा था । अभि. सा. 8 उस यान का स्वामी है, जो घटना के समय जॉन बोस्को द्वारा चलाया जा रहा था और यह साक्षी उसका मामा है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि जॉन बोस्को उस समय उक्त यान के ड्राइवर के रूप में कार्य कर रहा था और दुर्भाग्यपूर्ण दिन अर्थात् 14 फरवरी, 2008 को उसने उसे कहा कि वह अपने एक मित्र को सालेम छोड़ने के लिए जा रहा है और वह वहां से 11.30 बजे गया था तथा जब वह दो दिनों तक वापस नहीं आया, तो उसने तारीख 16 फरवरी, 2008 को एक गुमशुदा शिकायत फाइल की । अभि. सा. 8 ने मोबाइल फोन पर जॉन बोस्को से संपर्क करने की भी कोशिश की किंतु फोन बंद था । अन्वेषक अधिकारी, श्री असाईथांबी (अभि. सा. 26) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा कि अभि. सा. 8 ने तारीख 25 फरवरी, 2008 को उसे उक्त मोबाइल फोन का बिल सौंपा था । अन्वेषण के दौरान और मोबाइल फोन के आईएमइआई संख्यांक का पता लगाते समय यह प्रकट हुआ कि उक्त फोन का उपयोग अभियुक्त सं. 1-शिवशंकरन् द्वारा किया जा रहा था । अभि. सा. 26 द्वारा तारीख 1 मार्च, 2008 को अभियुक्त सं. 1 को गिरफ्तार किया गया और उसने स्वेच्छया एक संस्वीकृति कथन किया, जिसे अभि. सा. 13 द्वारा देखा गया था । उसके संस्वीकृति कथन के आधार पर अभि. सा. 26 ने मदन का शव तथा जॉन बोस्को का मोबाइल फोन पाया और एक रस्सी भी बरामद की गई जिससे उन्होंने अभिकथित रूप से मृतकों की हत्या की थी । शव की शनाख्त उसकी माता द्वारा की गई और इसे स्कल इम्पोजिशन टेस्ट द्वारा भी साबित किया गया । अभियुक्त सं. 1 ने अन्य अभियुक्तों का पता-ठिकाना भी बताया, जिसके आधार पर उन्हें येरकौड जंक्शन से गिरफ्तार किया गया । तथापि, यह अभियुक्त अपने किए गए कथन से न्यायालय में मुकर गया ।

12. अभियुक्त सं. 1 द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अभि. सा. 20 द्वारा अभियुक्त सं. 2 सुरेश को सालेम रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया और उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अभि. सा. 26 द्वारा अभिकथित ओमनी वैन की बरामदगी की गई । इसके अतिरिक्त, अनबालगन (अभि. सा. 11) ने, जो येरकौड टैक्सी स्टैंड पर एक टैक्सी ड्राइवर था, यह अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी-अभियुक्तों ने दर्शनीय स्थल

देखने के लिए टैक्सी भाड़े पर लेने हेतु तारीख 14 फरवरी, 2008 को जॉन बोस्को से बात की थी । उसके पश्चात्, इस साक्षी ने देखा कि अपीलार्थी-अभियुक्त जॉन बोस्को के यान में सवार हुए और थोड़ी दूर से मदन भी उसी यान में सवार हुआ । वास्तव में, अभि. सा. 11 ने न्यायालय में अपीलार्थी-अभियुक्तों की उन व्यक्तियों के रूप में शनाख्त की थी, जो तारीख 14 फरवरी, 2008 को जॉन बोस्को और मदन के साथ गए थे ।

13. अभि. सा. 20 द्वारा अभियुक्त सं. 1 द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अभियुक्त सं. 3 नवनीत कृष्णन् को सालेम रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था । अभि. सा. 26 ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त सं. 3 के संस्वीकृति कथन के आधार पर याशिका कैमरा बरामद किया गया था । उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तारीख 17 फरवरी, 2008 को अभि. सा. 1 के खेत से जॉन बोस्को का शव बरामद किया गया था और मृतक के माता-पिता द्वारा शव की शनाख्त की गई थी और इसे स्कल इम्पोजिशन टेस्ट द्वारा भी साबित किया गया था । किंतु यहां यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जो वह प्रस्तुत कर सके । संपूर्ण मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से घटना के बारे में बताने के लिए कोई साक्षी नहीं है ।

14. प्रस्तुत मामले में, घटना का कोई साक्षी नहीं है और यह मामला केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । आगे अग्रसर होने से पूर्व, किसी अभियुक्त को दोषमुक्त या दोषसिद्ध करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की विश्वसनीयता से संबंधित विधि को निर्दिष्ट करना प्रांसगिक होगा । **पदाला वीरा रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित विधि पर उचित रूप से विचार किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> "10. * * * * *
>
> (1) जिन परिस्थितियां से दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना ईप्सित है, वे सटीक और सुदृढ़ रूप से सिद्ध की जानी चाहिएं ;
>
> (2) वे परिस्थितियां एक निश्चायक प्रवृत्ति की होनी चाहिएं, जो अचूक अभियुक्त की दोषिता को इंगित करती हों ;

---

[1] (1989) (सप्ली.) 2 एस. सी. सी. 706.

(3) इन परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करने पर इतनी पूर्ण शृंखला बननी चाहिए कि यह निष्कर्ष निकले कि सभी मानवीय अभिसंभाव्यताओं में अपराध अभियुक्त द्वारा ही कारित किया गया था और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ; और

(4) दोषसिद्धि को सिद्ध करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त की दोषिता के सिवाय किसी अन्य परिकल्पना का स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए तथा ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त की दोषिता के संगत अपितु उसकी निर्दोषिता के असंगत भी होना चाहिए ।"

15. अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से तीन परिस्थितियों का अवलंब लिया था । प्रथम, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत, द्वितीय, अपीलार्थी-अभियुक्तों से उन तात्विक वस्तुओं की बरामदगी, जो दोनों मृतकों की थीं और तृतीय, प्रथम अभियुक्त द्वारा बताए अनुसार नदी की सतह से बरामद मदन के शव की शनाख्त, तथापि, इस अपील में अपीलार्थी ने इसके संबंध में कई सारे संदेह व्यक्त किए ।

16. प्रस्तुत मामले में मुख्य साक्ष्य अभि. सा. 11 का परिसाक्ष्य है, जिसने विश्वस्त रूप से अपीलार्थी-अभियुक्तों को अंतिम बार मृतकों के साथ देखा था । अपीलार्थी-अभियुक्तों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभि. सा. 11 के लिए सभी अभियुक्त अपरिचित थे, किंतु कोई शनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई थी और उक्त साक्षी ने उक्त अभियुक्तों की शनाख्त लगभग 50 दिन बीत जाने के पश्चात् सीधे ही न्यायालय में की थी और इसलिए उसके साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जाना चाहिए ।

17. विधि की यह एक स्थिर प्रतिपादना है कि न्यायालय के समक्ष हुई अभियुक्त की शनाख्त परेड एकमात्र मुख्य और सारभूत साक्ष्य नहीं है, अपितु यह केवल एक संपुष्टिकारी साक्ष्य है । इस संबंध में, **रफीकुल आलम और अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले का सुरक्षित रूप से अवलंब लिया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

"10. .....तद्नुसार, यह एक सुरक्षित प्रज्ञा का नियम समझा

---

[1] 2008 क्रिमिनल ला जर्नल 2005.

जाता है कि उन साक्षियों द्वारा, जिनके लिए अभियुक्त अजनबी हैं, उनकी शनाख्त के बारे में न्यायालय में शपथपूर्वक दिए गए परिसाक्ष्य की संपुष्टि करने की सामान्यतया पूर्ववर्ती शनाख्त कार्यवाहियों के रूप में प्रत्याशा की जानी चाहिए । तथापि, प्रज्ञा का यह नियम तब अपवादों के अध्यधीन है जब, उदाहरण के लिए, न्यायालय किसी ऐसे विशिष्ट साक्षी से प्रभावित हो जाता है, जिसके परिसाक्ष्य के आधार पर वह, ऐसी या अन्य संपुष्टि के बिना, सुरक्षित रूप से अवलंब ले सकता है । शनाख्त परेडों से सारभूत साक्ष्य का गठन नहीं होता है । शनाख्त परीक्षण परेड आयोजित करने में असफल रहने से न्यायालय में की गई शनाख्त का साक्ष्य अग्राह्य नहीं हो जाता है । ऐसी शनाख्त को दिए जाने वाला महत्व तथ्य अवधारण करने वाले न्यायालयों का विषय होना चाहिए । समुचित मामलों में ऐसे न्यायालय संपुष्टि के बिना भी शनाख्त के साक्ष्य को स्वीकार कर सकते हैं ।"

18. अभि. सा. 11 ने अपनी याद को ताजा करके स्वयं न्यायालय में सभी तीनों अभियुक्तों की उन व्यक्तियों के रूप में शनाख्त की थी, जो उस समय आए थे जब यह साक्षी जॉन बोस्को के साथ अपनी कार की धुलाई कर रहा था और यह भी कि उसने उस दिन उन सभी को ओमनी वैन में बैठते हुए देखा था तथा इस आशय का उसका परिसाक्ष्य, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त साक्षी की अपीलार्थियों के प्रति कोई दुश्मनी नहीं थी और वह एक स्वतंत्र साक्षी है, प्रतिपरीक्षा के दौरान भी अविकल रहा । जब एक बार अभि. सा. 11 का परिसाक्ष्य सिद्ध हो गया है और पूरी तरह विश्वासोत्पादक है, तो यह बात पूरी तरह सिद्ध हो जाती है कि अभियुक्त ही वे व्यक्ति थे जिन्हें अंतिम बार मृतकों के साथ देखा गया था, विशिष्ट रूप से ऐसी परिस्थितियों में जब अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि वे अभियुक्तों से अलग हो गए थे और तब से लेकर मृतकों की गतिविधि का पता नहीं चल सका था और बाद में उनके शव बरामद हुए थे । यह एक स्थिर विधिक स्थिति है कि विधि में यह उपधारणा की जाती है कि उस व्यक्ति ने ही मृतक की हत्या की होगी, जिसे अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था और यह साबित करके कि वे मृतक से अलग हो गए थे, इस उपधारणा का खंडन करने का भार अभियुक्त पर होता है । निस्संदेह, परिस्थितियों की शृंखला में अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिससे अभियुक्त की दोषिता पूर्णतः सिद्ध हो जाती है और/या कुछ निश्चितता के साथ उसकी दोषिता को इंगित कर सकती है । तथापि, केवल इस साक्ष्य से अभियुक्त

की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने वाले भार का निर्वहन नहीं हो सकता है और इसकी संपुष्टि होना आवश्यक है ।

19. अपीलार्थी-अभियुक्तों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अपीलार्थी-अभियुक्तों द्वारा किए गए कथन पूर्ववर्ती कथन हैं जो पुलिस के समक्ष किए गए थे और इसलिए अपीलार्थी-अभियुक्त तथा अभियोजन पक्ष दोनों ही उनका अवलंब नहीं ले सकते हैं । ऐसी वस्तुस्थिति में, **सेल्वी और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का यहां उल्लेख करना प्रासंगिक है, जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "133. हमने पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 की भाषा को निर्दिष्ट किया है, जिसमें ऐसे अभियुक्त तथा संदिग्ध व्यक्तियों और साक्षियों की संरक्षा की गई है, जिनकी किसी दांडिक मामले में अन्वेषण के दौरान परीक्षा की जाती है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162, 163 और 164 को भी निर्दिष्ट करना उपयोगी होगा, जिनमें व्यक्तियों द्वारा अन्वेषण के दौरान किए गए कथनों के संबंध में प्रक्रियात्मक रक्षोपाय अधिकथित किए गए हैं । तथापि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में 'पश्चात्वर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत' को सम्मिलित किया गया है, अर्थात् अभिरक्षा में किए गए कथन इस सीमा तक ग्राह्य हैं कि उन्हें बाद में पता चले तथ्यों द्वारा साबित किया जा सकता है । यह पूरी तरह संभव है कि स्वतंत्र साधनों द्वारा सुसंगत तथ्यों का प्रकटीकरण होने के बजाय अभिरक्षा में किए गए कथनों की अंतर्वस्तु से सीधे तौर पर उनका पश्चात्वर्ती प्रकटीकरण हो सकता है । अतः, ऐसे कथनों को उन कथनों के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है जो एक सफल अभियोजन के लिए आवश्यक 'साक्ष्य की शृंखला' में एक कड़ी प्रस्तुत करते हैं । यह उपबंध निम्न प्रकार से है –
>
> > '27. अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी– परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं,

---

[1] (2010) 7 एस. सी. सी. 263.

जितनी एतद्द्वारा पता चले तथ्य में स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी ।'

134. यह उपबंध अभिरक्षा में किए गए कथनों का घटनाओं के मामूली अनुक्रम में व्युत्पन्नी उपयोग करने की अनुज्ञा देता है । भारतीय विधि में, ऐसी कोई स्वयमेव उपधारणा नहीं है कि अभिरक्षा में जो कथन किए गए हों वे मजबूर करके ही करवाए गए हों । संक्षेप में, यहां मिरांडा वार्निंग एडमिनिस्ट्रेशन के सदृश्य अतिरिक्त तत्परता बरतने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, परिस्थितियों को देखते हुए जहां यह दर्शित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को वास्तव में अभिरक्षा में रहते हुए कथन करने के लिए बाध्य किया गया था, वहां ऐसे परिसाक्ष्य का अवलंब लेने तथा इसके व्युत्पन्नी उपयोग से अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन होगा ।"

20. इस दृष्टि से, किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप किसी ऐसे तथ्य का पता चलता है जिसे अपराध में फंसाने वाला साबित किया जा सकता है या नहीं, उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन ग्राह्य बनाया गया है । इसके अतिरिक्त, **सेल्वी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

"264. इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे दांडिक मामले में अन्वेषण के संदर्भ में या अन्यथा, बलपूर्वक प्रश्नगत किसी भी तकनीक का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए । ऐसा करना दैहिक स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप की कोटि में आएगा । तथापि, हम आक्षेपित तकनीकियों को दांडिक न्याय के संदर्भ में स्वेच्छा से लागू करने के लिए जगह छोड़ते हैं, बशर्ते कतिपय रक्षोपाय किए गए हों । यहां तक कि जब व्यक्ति ने इन परीक्षणों में से किसी परीक्षण से गुजरने की सम्मति दी है, तब भी परीक्षण के परिणामों को स्वयमेव साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता है क्योंकि परीक्षण लागू करने के दौरान व्यक्ति उत्तरों पर संज्ञापूर्ण नियंत्रण का प्रयोग नहीं करता है । तथापि, ऐसी कोई जानकारी या सामग्री, जिसका स्वेच्छा से लागू किए गए परीक्षण की सहायता से पश्चात्वर्ती पता चला है, तो उसके परिणामों को साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुसार ग्रहण किया जा सकता है ।"

21. **मधु** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के आदेश पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> "49. अपवाद के रूप में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में यह उपबंधित है कि अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को या जब अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में है तब किए गए किसी संस्वीकृति कथन को, यदि उस कथन के परिणामस्वरूप किसी अज्ञात तथ्य का पता चलता है, उसके विरुद्ध साबित किया जा सकता है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 का तर्क-आधार यह है कि पुलिस प्रपीड़न या डराकर कोई संस्वीकृति उपाप्त कर सकती है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन परिकल्पित अपवाद केवल तब लागू होता है यदि संस्वीकृति कथन के परिणामस्वरूप किसी नए तथ्य का पता चला है । पूर्वोक्त धारा 27 द्वारा परिकल्पित अपवाद के अधीन सुसंगतता सीमित है '... जितनी एतद्द्वारा पता चले तथ्य में स्पष्टतया संबंधित है.....' । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के पीछे का तर्क-आधार यह है कि प्रश्नगत तथ्य अज्ञात रहे होते यदि अभियुक्त द्वारा उनका प्रकटन न किया गया होता । अतः, तथ्यों का पता चलना ही संस्वीकृति कथन की सत्यता को प्रमाणित करता है । और चूंकि सत्य ही तो है जिसकी खोज करने का न्यायालय को अवश्य प्रयास करना चाहिए, इसीलिए पूर्वोक्त धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 में अंतर्विष्ट आदेश के अपवाद के रूप में सम्मिलित की गई है ।"

22. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 केवल तब लागू होती है यदि संस्वीकृति कथन के परिणामस्वरूप किसी नए तथ्य का पता चला है । इसकी सुसंगतता जितनी एतद्द्वारा पता चले तथ्य में स्पष्टतया संबंधित है तक सीमित है । प्रस्तुत मामले में, अभियुक्त सं. 3 के बताने पर जो याशिका कैमरा बरामद किया गया था, मृतक के पिता तथा माता द्वारा उसकी शनाख्त नहीं की गई थी । वस्तुतः, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि कैमरा वास्तव में मृतक-जॉन बोस्को का ही था । यद्यपि मोबाइल फोन अभियुक्त सं. 1 से बरामद हुआ था, किंतु अभिलेख पर इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि सैल फोन मृतक-जॉन बोस्को का था या अभि. सा. 8 का था, क्योंकि यह फोन

---

[1] (2012) 2 एस. सी. सी. 399.

उनके नाम से नहीं खरीदा गया था । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष उस व्यक्ति की परीक्षा करने में असफल रहा, जिसके नाम से सैल फोन खरीदा गया था, जिससे यह दर्शित हो सके कि यह मूल रूप से अभि. सा. 8 का था और अभि. सा. 8 का यह मत साबित हो सके कि उसने फोन खरीदा था और इसे मृतक-जॉन बोस्को को दिया था । इसके अतिरिक्त, तात्विक वस्तुएं, अर्थात् नोकिया फोन और मोटरसाइकिल का मामले से कोई सरोकार ही नहीं है । नोकिया फोन अभियुक्त सं. 1 से बरामद किया गया था और यह पक्षकथन नहीं है कि इसे अपराध कारित करने में प्रयुक्त किया गया था और इसी प्रकार जो मोटरसाइकिल बरामद की गई थी वह अभियुक्त सं. 3 के पिता की थी तथा अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश या प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इन वस्तुओं का मामले से कैसे सरोकार है । वास्तव में, साक्षियों में से किसी ने भी कैमरे की शनाख्त नहीं की थी या सामान जॉन बोस्को का होने की बात कही थी । धारा 27 में अंतर्विष्ट आदेश के बावजूद उक्त कथन अग्राह्य हैं और इसका एकमात्र कारण यह है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि इनके परिणामस्वरूप किसी नए तथ्य का पता चला था । पुलिस ने जिन तात्विक वस्तुओं को अभियुक्तों से बरामद किए जाने का दावा किया है, वे पुलिस द्वारा गढ़ी गई हो सकती हैं । अतः, अपराध और बरामद की गई वस्तुओं के बीच किसी संयोजक कड़ी के अभाव में, अभियुक्तों की प्रेरणा पर की गई बरामदगी का मामले के तथ्यों के आधार पर कोई तात्विक संबंध नहीं है ।

23. यह विधि सुस्थिर है कि अपराध में फंसाने वाली प्रत्येक परिस्थिति को विश्वसनीय और सटीक साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से अवश्य सिद्ध किया जाना चाहिए और इस प्रकार साबित की गई परिस्थितियों से घटनाओं की अवश्य एक ऐसी शृंखला बननी चाहिए जिससे अभियुक्त की दोषिता के बारे में एकमात्र अप्रतिरोध्य निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सके और दोषिता के विरुद्ध कोई अन्य परिकल्पना संभव न हो । पारिस्थितिक साक्ष्य पर अत्यधिक रूप से निर्भर मामले में सदैव यह खतरा रहता है कि अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ले सकते हैं । न्यायालय को अवश्य अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि घटनाओं की शृंखला में की विभिन्न परिस्थितियां अवश्य ऐसी होनी चाहिएं कि अभियुक्त की निर्दोषिता की युक्तियुक्त संभावना को नकारा जा सके । जब महत्वपूर्ण कड़ी गायब होती है, तो परिस्थितियों की शृंखला चटाख से टूट जाती है और अन्य परिस्थितियां, किसी रीति में, अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं कर सकती हैं । न्यायालय को सतर्क

रहना चाहिए और संदेह को विधिक सबूत का स्थान लेने के खतरे से बचना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी यह अनजाने में नैतिक निश्चितता और विधिक सबूत के बीच जल्दबाजी में उठाया गया कदम हो सकता है । "सत्य हो सकता है" और "अवश्य सत्य होना चाहिए" के बीच बहुत लंबी मानसिक दूरी है और ये बातें अटकलबाजियों को निश्चित निष्कर्षों से पृथक् करती हैं । न्यायालय विधि के स्थिर सिद्धांतों और इस न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चयों द्वारा दी गई इस चेतावनी से पूरी तरह सचेत है कि इस मामले जैसे किसी मामले में, जहां अभियोजन पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर है, वहां अभियोजन पक्ष को सभी आवश्यक परिस्थितियों को अवश्य प्रस्तुत और साबित करना चाहिए जिससे एक अटूट पूर्ण शृंखला बनती हो और इस परिकल्पना को इंगित करती हो कि अभियुक्त के सिवाए किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध कारित नहीं किया था और इस मामले में अभियोजन पक्ष यह बात साबित करने मे असफल रहा है ।

निष्कर्ष

24. पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि दोनों निचले न्यायालयों ने कथन के उस भाग का अवलंब लेकर गलती की है जिसे ऐसी संस्वीकृति का नाम दिया जा सकता है जो पुलिस अधिकारी को उस समय किया गया था जब वे अभिरक्षा में थे और इससे साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 का अतिक्रमण होगा और कथन का केवल वह भाग अनुज्ञेय होगा जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सामग्री की बरामदगी हुई थी । अतः, अपीलार्थी-अभियुक्तों के विरुद्ध किसी अन्य तात्विक साक्ष्य के अभाव में, उन्हें मृतकों के साथ अंतिम बार देखे जाने के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है ।

25. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 23 नवम्बर, 2009 को पारित निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है । ये अपीलें मंजूर की जाती हैं । अपीलार्थी, जो अभिरक्षा में हैं, यदि उनकी किसी अन्य दांडिक मामले में आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.